IAS PRE. TEST SERIES 2018

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें।

अनुक्रमांक ----------

Test Code GTS101217

व्याख्या पुस्तिका

प्रश्न पत्र - I

TEST - 3

राजव्यवस्था समसामयिकी (सितंबर, 2017)

परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम

A

1. (a) **कथन 1 सत्य है :** अनुच्छेद-3 संसद को अधिकृत करता है-
   - किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकेगी।
   - किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी।
   - किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी।
   - किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी।
   - किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

   हालांकि उपर्युक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। मंजूरी देने से पूर्व राष्ट्रपति इस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास मत जानने के लिए भेजता है, यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है।

   कथन 2 असत्य है : भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, किन्तु इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। इस संदर्भ में हम अभी हाल ही में हुए भारत-बांग्लादेश सीमा समझौते का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके लिए भारतीय संसद द्वारा 100वां संविधान संशोधन किया गया।

2. (a) **कथन 1 असत्य है :** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक सांविधिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993। 2006 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया।

   कथन 2 असत्य है : आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिये। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिये। दो अन्य सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिये।

   कथन 3 सत्य है : आयोग ऐसे मामले की जाँच के लिए अधिकृत नहीं है, जिसे घटित हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया हो। आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियाँ है तथा इसका चरित्र भी न्यायिक है। आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की माँग कर सकता है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच हेतु एक स्वयं का जाँच दल है।

3. (a) **कथन 1 असत्य है :** 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हरता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के चार अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया तथा एक नई अनुसूची (10वीं अनुसूची) जोड़ी गई। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने एक उपबंध को समाप्त कर दिया अर्थात् अब विभाजन के मामले में दल-बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जायेगी।

   किसी सदन का मनोनीत सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जायेगा। यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।

   कथन 2 सत्य है : किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता के अयोग्य माना जायेगा, यदि वह स्वेच्छा से ऐसे

राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है अथवा वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने पंद्रह दिनों के भीतर क्षमादान नहीं पाया हो।

4. (b) राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचत मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं–

1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
2. राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं।

इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य, द्विसदनीय विधायिका के मामलों में राज्य विधानपरिषदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते।

5. (b) **अनुच्छेद–40 :** ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद–44 : नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद–46 : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
अनुच्छेद–50 : न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव
अनुच्छेद–45 : बालपन पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा
अनुच्छेद–49 : स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण।

6. (a) **कथन 1 असत्य है**– यदि भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद–352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है, किन्तु इसकी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमण्डल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।

कथन 2 असत्य है– यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल छह माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक छह माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनन्तकाल तक बढ़ाया जा सकता है।

कथन 3 सत्य है– राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा अशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वह समझे कि इनका आसन्न खतरा है।

7.(c) भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी तथा राज्य के महाधिवक्ता के अतिरिक्त प्रश्न में दिये गये विकल्पों में अन्य कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है।

1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के भाग–17 में अनुच्छेद 350–ख जोड़ा गया, जिसके अन्तर्गत भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे।

संविधान के अनुच्छेद–165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है तथा इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है।

राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त, 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया। योजना आयोग की तरह न तो यह संवैधानिक निकाय है, न ही कोई सांविधिक निकाय। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन सन् 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अन्तर्गत किया गया था। इसका गठन भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति (1962–64) की सिफारिश पर हुआ था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था। जिनका नाम था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993।

8.(a) केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहु–सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) व दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष (जो भी पहले हो) होता है।

9.(b) प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से चुने जाते हैं। राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। समिति का कार्य बजट में सम्मलित अनुमानों की जाँच करना एवं लोकव्यय में मितव्ययिता के सुझाव देना है।

लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता। समिति का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की वार्षिक रिपोर्ट की जाँच करना है।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है। कोई भी मंत्री

समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। समिति का मुख्य कार्य सरकारी उपक्रमों में कैग की रिपोर्ट का परीक्षण करना है।
कार्यमंत्रणा समिति में लोकसभा में 15 एवं राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। यह सदन के कार्यक्रम एवं समय को नियंत्रित करती है।

10. (c) **तीसरी अनुसूची :** विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप
पाँचवी अनुसूची : अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध
सातवीं अनुसूची : राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची)
नवीं अनुसूची : भू-सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित।

11.(b) **कथन 1 सत्य है**- अनुच्छेद-74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य हेतु सलाह देती है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जाँच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यह उपबंध राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक अंतरंग और गोपनीय संबंधों पर बल देता है।
कथन 2 असत्य है : प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा (न कि संसद के दोनों सदन) की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा किया गया।
कथन 3 सत्य है : मंत्रिमण्डल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, यहाँ तक कि यदि मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरूद्ध हों। सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वे मंत्रिमण्डल के निर्णयों को माने तथा संसद के बाहर और भीतर उसका समर्थन करे। यदि कोई भी मंत्री, मंत्रिमण्डल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है, तो उसे त्याग-पत्र देना होगा।

12.(c) **कथन 1 असत्य है :** यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नामित कर सकता है।
कथन 2 सत्य है : विधानसभा के सदस्यों के विपरीत विधानपरिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की एक-तिहाई और न्यूनतम 40 निश्चित है। इसका अर्थ है कि संबंधित राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है।
कथन 3 असत्य है : साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। ज्यादा से ज्यादा विधान परिषद एक विधेयक को चार माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में तीन माह के लिए दूसरी बार में एक माह के लिए। राज्यों में किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

13.(a) लोकसभा के विघटन पर समाप्त होने वाले विधेयक-
1. विचाराधीन विधेयक, जो लोकसभा में है।
2. लोकसभा में पारित, किन्तु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक।

लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होने वाले विधेयक-
1. ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो।
2. ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो।
3. ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो।
4. ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो।

14.(c) संसद में बजट निम्नलिखित 6 स्तरों से गुजरता है-
1. बजट का प्रस्तुतीकरण
2. आम बहस
3. विभागीय समितियों द्वारा जाँच
4. अनुदान की माँग पर मतदान
5. विनियोग विधेयक का पारित होना
6. वित्त विधेयक का पारित होना

15.(d) कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ये अधिकार हैं-
1. **अनुच्छेद-15 :** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
2. **अनुच्छेद-16 :** लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
3. **अनुच्छेद-19 :** वाक-स्वातंत्र्य, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता।
4. **अनुच्छेद 29 और 30 :** अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार।

कुछ अधिकार भारत में नागरिकों एवं विदेशी, दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं। (शत्रु देश के लोगों को छोड़कर) ये अधिकार है-
1. **अनुच्छेद-14 :** विधि के समक्ष समता
2. **अनुच्छेद-20 :** अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
3. **अनुच्छेद-21 :** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
4. **अनुच्छेद-21(क) :** शिक्षा का अधिकार
5. **अनुच्छेद-23, 24 :** शोषण के विरूद्ध अधिकार
6. **अनु. 25, 26, 27, 28 :** धर्म की स्वतंत्रता

16.(b) **कथन 1 असत्य है**- मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्चाचन आयुक्तों के बीच विवाद होता है, तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है।
कथन 2 सत्य है : संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में

निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

कथन 3 असत्य है : मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है, जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, किन्तु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है।

17.(d) **कथन 1 असत्य है**- यदि दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो और उनके विधानमंडल इस प्रभाव के संकल्प पारित कर देते हैं, तो संसद विधि बनाकर उनकी आवश्यकताओं के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त कर सकती है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहाँ सीधे संविधान द्वारा किया गया है, वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमण्डल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। अत: संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक संस्था है न कि संवैधानिक।

कथन 2 असत्य है : संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों को राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को सौंपता है। प्रत्येक राज्यपाल इसे राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करता है।

18.(c) प्रश्न में दिये गये विकल्पों में से केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त कार्य नहीं करता।

19.(a) गाँधीवादी विचारधारा पर आधारित नीति निदेशक तत्व-

1. **अनुच्छेद-40 :** ग्राम पंचायतों का संगठन
2. **अनुच्छेद-43 :** कुटीर उद्योगों को प्रात्साहन
3. **अनुच्छेद-43(B) :** सहकारी समितियों को प्रोत्साहन
4. **अनुच्छेद-46 :** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गो के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
5. **अनुच्छेद-47 :** नशीली दवाओं, शराब, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध।
6. **अनुच्छेद-48 :** गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन।

20.(b) राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है।

21.(b) **निंदा प्रस्ताव**

- लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है।
- यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद् के विरूद्ध लाया जा सकता है।
- यह मंत्रिपरिषद् की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है।
- यदि यह लोकसभा में पारित हो जाये तो मंत्रिपरिषद को त्याग-पत्र देना आवश्यक नहीं है।

22.(c) **धन विधेयक - अनुच्छेद-110**

- इसे सिर्फ लोकसभा में मंत्री द्वारा एवं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पुर: स्थापित किया जा सकता है।
- इसे राज्यसभा अस्वीकृत नहीं कर सकती।
- इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है।
- इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है।
- इसमें दोनों सदनों में बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता। इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता।
- इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग-पत्र देना होता है।
- इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता।

23.(d) उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरूप बहुत से अधिकार अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत माने गये हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

1. बंधित श्रमिक न बनायें जाने का अधिकार
2. अच्छे पर्यावरण का अधिकार
3. विदेश यात्रा का अधिकार
4. विधिक सहायता का अधिकार
5. प्राइवेसी (एकांतता) का अधिकार
6. एकांत कारावास के विरूद्ध अधिकार
7. हथकड़ी के विरूद्ध अधिकार
8. फांसी में विलम्ब के विरूद्ध अधिकार
9. पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार
10. अच्छी सड़कों का अधिकार
11. ध्वनि प्रदूषण से मुक्त रहने का अधिकार

24.(b) संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया-

समिति - अध्यक्ष

1. संघ शक्ति समिति - जवाहर लाल नेहरू
2. संघीय संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरू
3. प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल
4. प्रारूप समिति - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
5. प्रक्रिया नियम समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
6. संचालन समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
7. मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति - सरदार पटेल

25.(b) **धर आयोग :** स्वतंत्रता के बाद देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से दक्षिण से माँग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून, 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषायी प्रान्त आयोग की नियुक्ति की। अयोग ने सिफारिश की, कि राज्यों का पुनर्गठन भाषायी कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए।

- **जेवीपी समिति :** धर आयोग की सिफारिशों से अत्यधिक असंतोष फैल गया फलस्वरूप सरकार द्वारा दिसम्बर, 1948 में एक अन्य समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल और पट्टाभिसीतारमैय्या शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना गया। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया।
- **फजल अली आयोग :** यह समिति फजल अली की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसके अन्य दो सदस्य के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। इस समिति के निर्माण के पहले ही अक्टूबर, 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलगू भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्रप्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया।

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1955 को पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसने 'एक राज्य एक भाषा' के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया।

26.(b) **संविधान की दूसरी अनुसूची**

संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन-

1. भारत के राष्ट्रपति
2. राज्यों के राज्यपाल
3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
4. राज्यसभा के सभापति और उपसभापति
5. राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
6. राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति
7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

27.(d)

- संयुक्त राज्य अमेरिका - मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन उपराष्ट्रपति का पद आदि
- आयरलैण्ड - राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
- आस्ट्रेलिया - समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- दक्षिण अफ्रीका - संविधान संशोधन प्रक्रिया

28.(c) संविधान के भाग-21 में विभिन्न राज्यों के लिए विशेष उपबंध दिये गये हैं-

अनुच्छेद - राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

- अनुच्छेद-370 - जम्मू एवं कश्मीर
- अनुच्छेद-371 - महाराष्ट्र और गुजरात
- अनुच्छेद-371क - नागालैण्ड
- अनुच्छेद-371ख - असम
- अनुच्छेद-371ग - मणिपुर
- अनुच्छेद-371घ - आन्ध्र प्रदेश
- अनुच्छेद-371ङ - आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
- अनुच्छेद-371च - सिक्किम
- अनुच्छेद-371छ - मिजोरम
- अनुच्छेद-371ज - अरूणाचल प्रदेश
- अनुच्छेद-371झ - गोवा

29.(d) **कथन 1 असत्य है :** संविधान में अनुच्छेद-368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन का आरम्भ संसद के किसी भी सदन में इससे संबंधित विधेयक को पुनः स्थापित करके किया जा सकता है। विधेयक को किसी मंत्री या सरकारी सदस्य द्वारा पुनःस्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

कथन 2 असत्य है : विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना अनिवार्य है। (सदन में उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत)।

प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग-अलग पारित करवाना अनिवार्य है। दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करवाने का कोई प्रावधान नहीं है।

कथन 3 असत्य है : यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमण्डलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रश्न में ''आधे से अधिक राज्यों के विधानमण्डलों से सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए।'' दिया हुआ है, जबकि यदि केवल आधे राज्य सहमत है तो यह विधेयक पारित किया जा सकता है।

30.(d) संघीय सरकार वह सरकार है, जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं तथा दोनों अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं।

संघीय सरकार की विशेषताएं-

1. दोहरी सरकार
2. लिखित संविधान
3. केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन
4. संविधान की सर्वोच्चता
5. कठोर संविधान
6. स्वतंत्र न्यायपालिका
7. द्विसदनीय विधायिका

31.(c) संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है- सूची-1 (संघ), सूची-II (राज्य), सूची-III (समवर्ती)।

- संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। इस सूची में शामिल प्रमुख विषय हैं- रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र-राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना लेखा परीक्षा आदि।

- राज्य विधानमण्डल को 'सामान्य परिस्थितियों' में राज्यसूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। राज्यसूची में शामिल प्रमुख विषय हैं- सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्यपालन, बाजार आदि।
- समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमण्डल दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में शामिल प्रमुख विषय है- विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं प्रेस, शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण।

32.(c) केंद्र अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल होने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के दो माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन छह माह तक चलता है, इसे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक छह माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को, किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

33.(a) **कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम-**

1. राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य में
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति
6. भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष
7. केंद्रीय मंत्रिमण्डल के मंत्री
8. भारत में विदेशी देशों के राजदूत तथा राष्ट्रमण्डल देशों के उच्चायुक्त
9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

9.(क) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

34.(b) **कथन 1 सत्य है :** संविधान के भाग-VI में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है।

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

कथन 2 सत्य है : जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए-

a) वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो।
b) उसे कम से कम सात वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो।
c) उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो।

कथन 3 असत्य है : जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे सिविल और अपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक व प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती है। जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्रकैद से लेकर मृत्युदण्ड देने तक का अधिकार होता है, हालांकि उसके द्वारा दिये गये, मृत्युदण्ड पर तभी अमल किया जाता है, जब राज्य का उच्च न्यायालय इसका अनुमोदन कर दे।

35.(d) **कथन 1 सत्य है :** संघ लोक सेवा आयोग, भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के भाग-14 में अनुच्छेद-315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियाँ, कार्य तथा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करते हैं। साधारणतया आयोग में अध्यक्ष समेत नौ से ग्यारह सदस्य होते हैं।

कथन 2 सत्य है : संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो।

कथन 3 सत्य है : संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को (जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई हो, के कारणों सहित) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता हैं। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है।

36.(c) संविधान के अनुच्छेद-350ख के अनुसार, 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई है। इस अधिकारी को भाषायी

अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (कमिश्नर) का पदनाम दिया गया है।

इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में है तथा बेलगांम (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु) एवं कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उप-आयुक्त होता है।

37.(a) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दो अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यनुभव होना चाहिए।

इन पूर्ण कालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में चार अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं-

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
4. राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष

38.(d) मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसे अनुच्छेद-12 में भाग-।।। के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है, इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं-

a) कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद।
b) राज्य सरकार के विभिन्न अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमण्डल।
c) सभी स्थानीय निकाय अर्थात् नगरपालिकाऐं, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि।
d) अन्य सभी निकाय अर्थात् वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे- एलआईसी, ओएनजीसी, सेल आदि।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को, जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद-12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में आती है।

39.(c) **कथन 1 सत्य है :** 1992 का 73वां संविधान अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खण्ड-IX सम्मलित किया। इसे 'पंचायतें' नाम से उल्लिखित किया गया और अनुच्छेद-243 से 243 'ण' के प्रावधान सम्मलित किये गये। इस अधिनियम ने संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इसमें पंचायतों के 29 विषय शामिल हैं।

यह अधिनियम पंचायती राज में ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में गाँव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अत: यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्रामस्तरीय सभा है।

कथन 2 असत्य है : इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है अर्थात् ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। अत: यह अधिनियम पूरे देश में पंचायत राज की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो, को माध्यमिक स्तर पर पंचायतों को गठित न करने की छूट देता है।

कथन 3 सत्य है : इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या एक-तिहाई से कम न हो। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण एक-तिहाई से कम नहीं होगा।

40.(b) अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। ये अधिकार सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं किये जा सकते। अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद-20) तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-21) आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। अनुच्छेद-20 तथा 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं किये जा सकते।

41.(c) **कथन 1 सत्य है :** संसद अनुच्छेद-32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता।

कथन 2 सत्य है : अनुच्छेद-32 के तहत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसीलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्यायक्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद-226 के तहत उपचार विवेकानुसार हैं, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्यायक्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है।

42.(b)

रिट - उद्देश्य

1. **परमादेश** - न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछने के लिए।
2. **उत्प्रेषण** - उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों के स्थानान्तरण के लिए।
3. **अधिकार पृच्छा** - न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जाँच के लिए।
4. **प्रतिषेध** - किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्यायक्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए।

43.(c)

1. **89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दो भागों में विभाजन (अनु. 338 एवं 338 क)।
2. **91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003:** मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया।
3. **92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003:** संविधान की 8वीं अनुसूची में चार अन्य भाषायें जोड़ी गई।
4. **97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2011:** सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया।

44.(d) **कथन 1 असत्य है :** संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा एक नया भाग-14(क) जोड़ा गया। इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया। इसमें दो अनुच्छेद हैं- अनुच्छेद-323(क), जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित हैं तथा अनुच्छेद-323(ख), जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित हैं।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती व सेवा संबंधी मामलों को देखता है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं, केंद्र के अधीन नागरिक पदों और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मलित किया गया है। सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें सम्मलित नहीं किया गया है।

कथन 2 असत्य है : केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य न्यायिक व प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मामले में) तथा 62 वर्ष (सदस्यों के मामले में) जो भी पहले हो, होता है।

45.(a) **कथन 1 असत्य है :** अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 केंद्र को राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, परन्तु वे कार्य करने हेतु विभिन्न राज्यों में भेज दिये जाते हैं। विभिन्न राज्यों में उनके विभाजन के बावजूद, अखिल भारतीय सेवाऐं पूरे देश में समान अधिकार, दर्जा और एक समान वेतनमान से एक ही सेवा बन जाती है। उनको वेतन और पेंशन राज्यों द्वारा दिये जाते हैं।

कथन 2 सत्य है : अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त रूप से केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा व तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा होता है। इन अधिकारियों के विरूद्ध कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है।

46.(c) वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। ये हैं- असमिया, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, डोगरी, बोडो तथा संथाली।

47.(a) **कथन 1 असत्य है :** राज्यों द्वारा अधिकारिक भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक सीमित नहीं है।

कथन 2 सत्य है : किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के आधिकारिक भाषा रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिन्दी का चुनाव कर सकती है। जब तक यह न हो उस राज्य की अधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी।

48.(b) महान्यायवादी की निम्नलिखित सीमाएं हैं, ताकि उसके कर्तव्यों के तहत किसी तरह का संघर्ष या जटिलता न रहें-

1. वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता।
2. जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
3. बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी अपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता।
4. बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता।

महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता।

49.(d) केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सन् 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अन्तर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार रोकने पर बनाई गई संथानम समिति (1962-64) की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। संथानम समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का गठन किया गया था।

50.(a)

1. **अनुच्छेद-143 :** उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
2. **अनुच्छेद-155 :** राज्यपाल की नियुक्ति
3. **अनुच्छेद-163 :** राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
4. **अनुच्छेद-169 :** राज्यों में विधानपरिषदों का सृजन

51.(d) **कथन 1 सत्य है :** मूल कर्तव्य विदेशियों के लिए नहीं है, केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

कथन 2 सत्य है : निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्त्तव्य गैर न्यायोचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिये

उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है अर्थात् उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है।

कथन 3 सत्य है : स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिश की गई थी कि संसद किसी आर्थिक दण्ड या सजा का प्रावधान कर सकती है, जब कोई किसी कर्त्तव्य के अनुपालन से इंकार कर दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया।

52.(b) संघीय ढाँचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमण्डलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो।

निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है-

1. राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया
2. केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार
3. उच्चतम एवं उच्च न्यायालय
4. केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन
5. 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय
6. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
7. संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया (अनुच्छेद 368 स्वयं)

मूल अधिकार संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं। इनके लिए आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है।

संसद एवं राज्य विधानमण्डलों के निर्वाचन से संबंधित उपबंध साधारण बहुमत (साधारण विधायी प्रक्रिया) द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद-368 के अंतर्गत नहीं होता।

53.(d) **मूल संरचना के तत्व :** वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद-368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग, मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की 'मूल संरचना' प्रभावित न हो। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि 'मूल संरचना' के घटक कौन-से हैं। विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की 'मूल संरचना' अथवा इसके तत्वों अवयवों/घटकों के रूप में पहचान की जा सकती है।

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति
3. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
4. विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन
5. संविधान का संघीय स्वरूप
6. राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता
7. कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)
8. न्यायिक समीक्षा
9. वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा
10. संसदीय प्रणाली
11. कानून का प्रशासन
12. मौलिक अधिकारों तथा नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन
13. समत्व का सिद्धान्त
14. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुना
15. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
16. संविधान संशोधन को संसद की सीमित शक्ति
17. न्याय तक प्रभावकारी पहुँच
18. तर्कसंगतता का सिद्धांत
19. अनुच्छेद-32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ।

54.(b) **कथन 1 सत्य है :** संविधान में संघ सूची को राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। संघ सूची व राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी।

कथन 2 असत्य है : यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाये तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा।

55.(b) **कथन 1 असत्य है :** कोई भी इकलौता राज्य, राज्य सूची पर संसद से कानून बनाने को नहीं कह सकता। जब दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा, जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य।

कथन 2 सत्य है : संसद राज्य सूची के किसी मामले में अन्तर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है।

56.(a) **कथन 1 सत्य है :** अनुच्छेद-360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। वित्तीय आपात की घोषणा को, घोषित तिथि के दो माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाये तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे वापस न लिया जाए अर्थात् इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

कथन 2 असत्य है : इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है।

कथन 3 असत्य है : वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव, संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात् सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत।

राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

57.(c) **कथन 1 सत्य है :** राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाँच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मण्डल अपूर्ण है अर्थात् निर्वाचक मण्डल के किसी सदस्य का पद रिक्त है।

कथन 2 सत्य है : यदि किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किये गये कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे।

58.(b) **कथन 1 असत्य है :** राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बँटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

कथन 2 असत्य है : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में यह उपबंध था कि किसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी को उस राज्य का निवासी होना चाहिए। यह अर्हता सन् 2003 में हटा दी गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आधार पर इस संशोधन को सही ठहराया गया-

1. परिसंघ का ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है कि राज्य के प्रतिनिधि उसी राज्य के निवासी हो।
2. राज्यसभा, राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह एक राष्ट्रीय संस्था है।

कथन 3 सत्य है : राज्यसभा के लिए निर्वाचन पहले गुप्त मतदान द्वारा होता था, किन्तु संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में इसे खुला मतदान कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने भी इस संशोधन को सही ठहराया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार-

1. राज्यसभा के सदस्य राज्य के निदेशानुसार मतदान नहीं करते, वे अपने विचारों के अनुसार या अपने दल के अनुसार मत देते हैं।
2. गुप्त मतदान का सिद्धांत कोई अत्यधिक सिद्धांत नहीं है। यदि गोपनीयता के कारण भ्रष्टाचार पनपता है, तो प्रकट मतदान का विकल्प श्रेष्ठ है।

59.(c) अनुच्छेद-85 के अधीन राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहुत करने, उसका सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। स्थगन किसी बैठक के कार्य का निलंबन है, जिसकी घोषणा अध्यक्षता करने वाला अधिकारी करता है। स्थगन दो चार मिनट से लेकर कुछ दिनों का हो सकता है।

60.(c) राष्ट्रपति पर 'संविधान का उल्लंघन' करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद की अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्रशासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था।

61.(d) **कथन 1 असत्य है :** यदि नये राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा (पाँच वर्ष उपरांत भी) जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। संविधान ने यह उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त होने से शासनांतरण से बचने के लिए किया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्य का निर्वहन करें।

कथन 2 असत्य है : राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग की स्थिति में उपराष्ट्रपति केवल 6 माह के लिए राष्ट्रपति का पद संभालता है। इन 6 माह में नये राष्ट्रपति का निर्वाचन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए।

62.(d) नरसिन्हम समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अन्य तीनों समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति जनवरी, 1957 में भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी। जिसने नवंबर, 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की योजना की सिफारिश की।

दिसम्बर, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया।

1986 में राजीव गाँधी सरकार ने 'लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार' पर एक समिति का गठन एल.एम. सिंहवी की अध्यक्षता में किया।

63.(c) भारतीय संविधान के अनुच्छेद-30 में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में प्रजातीय अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया है।

64.(c) चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। इसके अन्तर्गत राजनीतिक दल को चुनाव वाले राज्य/क्षेत्र के संबंध में

लोक लुभावन घोषणा व कार्यक्रम शुरू करने से परहेज करना होता है। लेकिन आदर्श आचार संहिता को संसद द्वारा नहीं वरन् राजनीतिक दलों द्वारा आम सहमति पर लागू किया था।

65.(b) भारत संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ दी गई है, जिनमें से तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण से संबंधित है। इस अनुसूची में संघ के मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश संसद सदस्यों के शपथ की चर्चा की गई है, किन्तु राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद-60 में की गई है।

66.(a) आम बजट में शामिल मांगों पर लोकसभा में मतदान होता है। इस दौरान संसद सदस्य इस पर बहस करते हैं। सदस्य अनुदान मांगो पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्तावों को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, जो कि तीन प्रकार के होते हैं यथा- नीतिगत कटौती प्रस्ताव, इसके अन्तर्गत बजट मांग घटाकर 1 रूपये कर दी जाती है। मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव- इसके अन्तर्गत बजट मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है। सांकेतिक कटौती, इसके अंतर्गत बजट की माँग में से एक सौ रूपये कम कर दिए जाते हैं।

67.(a) भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में वर्णित व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशियों को। जबकि अनुच्छेद-14 में वर्णित विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद-21 में वर्णित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद-25 में वर्णित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है।

68.(c) भारत में नागरिकता (1) जन्म से (2) वंश के आधार पर (3) पंजीयकरण द्वारा (4) प्राकृतिक रूप से (5) क्षेत्र समाविष्टि इन पाँच आधारों पर प्राप्त की जा सकती है।

69.(d) केंद्र एवं राज्यों के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु, 1983 में केंद्र सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया था।

70.(c) भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन की चर्चा की गई है।

71.(a) भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने को कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना या वह दल लोकसभा में दो प्रतिशत स्थान जीतता हो तथा ये सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं या वह दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में चार अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का छह प्रतिशत मत प्रात करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों में 4 सीट प्राप्त करता है।

72.(c) 73वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अन्दर चुनाव कराना अनिवार्य है।

73.(a) भारत के किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भारतीय राष्ट्रपति को दिया गया है।

74.(b) क्रीमीलेयर की संकल्पना आरक्षण से जुड़ी हुई है। इस वर्ग में आने वाले पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। यह संकल्पना पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का आर्थिक स्तर पर वर्गीकरण करती है।

75.(a) दबाव समूह को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है, जो कि सक्रिय रूप से संगठित होते हैं, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रतिरक्षा करते हैं।

76.(d) **कथन** A **असत्य है, किन्तु कारण** R **सत्य है :** भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद् संयुक्त रूप से लोकसभा (न कि राज्यसभा) के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य केंद्र में मंत्री बन सकते हैं।

77.(c) लोक लेखा समिति का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जाँच करना है। वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवातें हैं।

78.(b) 'कोरम' या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, जिसकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है, तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करें।

79.(a) लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है।

80.(b) 1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र छह माह होती थी।

81.(b) संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके सदस्यों का चयन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रिसायतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।

82.(a)

भाग-9	पंचायत
भाग-8	संघ क्षेत्र
भाग-4A	मूल कर्तव्य
भाग-9A	नगरपालिका

83.(a) संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया।

84.(a) किसी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही वकालत कर सकता है। अन्य किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकता।

85.(d) बम्बई उच्च न्यायालय के अन्तर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एवं दमन व दीव के क्षेत्र आते हैं।

86.(c) पंचायत एवं नगरपालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराये जाते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है।

87.(a) **कथन 1 सत्य है :** भारत की संविधान सभा, 1946 में प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनी गई।
कथन 2 असत्य है : संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे।
कथन 3 असत्य है : भारत का संविधान 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

88.(b) **कथन 1 सत्य है :** भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
कथन 2 सत्य है : प्रस्तावना की प्रकृति गैर न्यायिक है अर्थात् इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
कथन 3 असत्य है : उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेरूवाड़ी संघ (1960) के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाएं।

89.(d) **कथन 1 सत्य है :** भारत के संविधान में अनुच्छेद-280 के अन्तर्गत अर्द्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है।
कथन 2 सत्य है : वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे।
कथन 3 सत्य है : वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद-280 के अन्तर्गत एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।

90.(c) **भारत की आकस्मिकता निधि :** इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इससे अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करावाया जा सकता है।

91.(a) भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस वर्ष की अपनी पर्वोत्तर तक पहुँच के तहत ''पूर्वोत्तर कॉलिंग'' कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति, विरासत, पर्यटन को बढ़ावा देना है।

92.(b) डोनाल्ड ट्रंप ने 5 सितम्बर, 2017 को एमनेस्टी कार्यक्रम को रद्द कर दिया। यह कार्यक्रम अमेरिका में अवैध रूप से बच्चों के रूप में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को वर्क परमिट प्रदान करता था।

93.(c) 7-14 सितम्बर के मध्य बंगाल की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक युद्धभ्यास हुआ था।

94.(a) जॉर्डन ने अकावा शहर के पास ''सहारा वन परियोजना'' नामक एक परियोजना शुरू की है। यह परियोजना सूर्य और समुद्री जल का उपभोग कर रेगिस्तानी भूमि को कृषि भूमि में तब्दील कर भोजन की उपलब्धता प्रदान करने में मदद करेंगी।

95.(b) भारत ने 'आपरेशन इंसानियत' के तहत बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाते हुये पड़ोसी देश को खाना संबंधी जरूरी सामान भेजने का निर्णय लिया है ताकि म्यांमार से आगे रोहिंग्या लोगों की इस संकट की घड़ी में मदद की जा सके।

96.(c) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग नदी प्रणाली के जैविक विश्लेषण के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर एक 'नौका पर प्रयोगशाला' परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना में स्थानीय अनुसंधान संस्थानों तक पहुँच कायम करने हेतु ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों पर कई चलत प्रयोगशालाएँ भी बनायी जाएगी।

97.(b) हिमाचल प्रदेश देश में इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला पहला राज्य बन गया है।

98.(a) 'परियोजना यश विद्या' सैन्य क्रर्मियों के लिए तैयार किये गये स्नातक डिग्री कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत सेवाकालीन सैनिकों को मुक्त विश्वविद्यालय के जरिए शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है।

99.(b) 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए 'पॉवर फॉर ऑल' की शुरूआत की।

100.(d) **दोनों कथन असत्य है :** विश्व परमाणु उद्योग स्थिति रिपोर्ट, 2017 के अनुसार परमाणु रिएक्टरों की स्थापना पहले स्थान पर है, जबकि भारत 6 परमाणु रिएक्टरों के साथ तीसरे स्थान पर।